तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20/9/19	अधि० उपस्थित। प्रार्थी अधि० की ओर से बहस हेतु समय चाहा गया। वास्ते बहस दिनांक 1/10/19 को पेश हो।
1/10/19	अधि० उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। वास्ते बहस दिनांक 21/10/19 को पेश हो।
21/10/19	अभिभाषक उपस्थित आये। बहस समाप्त की गई। जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुसार रही। प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी ख० नं० 927 रकबा 0.60 हे०, 928 रकबा 0.44 हे०, 929 रकबा 0.52 हे० कुल किता 3 रकबा 1.56 हे० व अन्य आराजियात के साथ ग्राम पन्द्रहेड़ा तहसील टोडारायसिंह में स्थित है जिसमें मोहनदास व नोरत का अन्य सहखातेदार के साथ बराबर 2 का हक हिस्सा खातेदारी में दर्ज था यानि मोहनदास व नोरत का 1/3 हिस्सा था। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण नं० 1 नोरत व अप्रार्थी नं० 2 लगा० 5 व 6 के पिता-पति मोहनदास से उक्त आराजीयात किता 3 रकबा 1.56 हे० में से उनके 1/2 हक हिस्से कब्जे काश्त व खातेदारी में दर्ज आराजी को जरिये Reg. AD विक्रय पत्र दि० 3.11.2000 को उप-पंजीयक टोडारायसिंह में उपस्थित होकर पंजीबद्ध कराई है तब से प्रार्थी उक्त क्रयशुदा आराजीयात का खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है परन्तु उक्त समय आराजियात विक्रेतागण के हक हिस्से की भूमि विकास बैंक लि० शाखा टोडारायसिंह के यहां बिला कब्जा रहन दर्ज होने से प्रार्थी के हक में खातेदारी में दर्ज नहीं हो सकी थी। लादी पुत्री चतुर्भुजदास का भी आरा० मुतदाविया में 1/6 हि० दर्ज था लादी की मृत्यु हो चुकी थी उसकी मृत्यु के बाद उसके हक हिस्से में दर्ज आरा० में से उसका नाम हटाने की स्वीकृति नामा० सं० 532 तिथि दि० 19.11.2010 को हो चुकी थी इस कारण उसके हक हिस्से में दर्ज आराजी श्री मोहनदास, गोपालदास, लक्ष्मणदास, फूला व नोरत जो उसके सहखातेदार थे। श्री आईदानदास जी के नाम बराबर 2 दर्ज कर दी गई इस कारण उक्त आरा० में मोहनदास व नोरत का प्रत्येक का 1/5-1/5 हक हिस्सा खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार मोहनदास व नोरत का सम्पूर्ण आराजी को 1/3 हि० के स्थान पर 2/5 हि० दर्ज रिकार्ड हो गया। प्रार्थी ने मोहनदास को आराजी को रहन मुक्त कराने हेतु समय-समय पर कहता रहा परन्तु जब रुपयों की व्यवस्था नहीं हुई कहकर टालता रहा। मोहनदास की मृत्यु हो गई। उसके वारिसान अप्रार्थीगण नं० 2 लगा० 5 व 6 को भी प्रार्थी ने आरा० को रहन मुक्त कराने हेतु कहा ताकि विक्रयशुदा आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज हो सके। मोहनदास के फौत होने पर बाद ग्राम आराजी में उसके वारिसान का नाम दर्ज हो चुका था उन्होंने आराजी मुत० में दर्ज उनके हक हिस्से को बदला अदा कर रहन मुक्त भी करा ली। उनको उक्त विक्रयशुदा आराजी का मुताबिक रजिस्ट्री नामा० प्रार्थी के हक में करे जाने की सहमति देने के लिए कहा तो दि० 12.6.2015 को स्पष्ट तौर पर इन्कार कर दिया व कहा कि वे आरा० को अन्तरण मुन्तकिल करेंगे, रहन रखेंगे। कब्जा हटाकर वे कब्जा करेंगे। आराजी काश्त नहीं करने देंगे। इसलिए यह प्रा०पत्र पेश करना आवश्यक हुआ यदि अप्रार्थीगण को उनकी ऐसी हरकत से पाबन्द नहीं किया गया तो उनकी उक्त ऐसी हरकतों की वजह से प्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से कतई संभव नहीं होगी। दावा करने का अभिप्राय: ही समाप्त हो जावेगा। प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अत: अप्रार्थीगण को तार्किक बाद अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे उक्त आराजियात मुतदाविया में प्रार्थी के कब्जे काश्त में जबरन बेजा मुदाखलत नहीं करें। काश्त करने से मना नहीं करें। जबरन बेदखल नहीं करें। दीगर को अन्तरण बेचान, रहन, बय वसीयत नहीं करें। मौके व कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। [initials]
	प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी नं० 1 लगा० 7, 9 ने जवाब मय काउन्टर T.I. पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी अप्रार्थी नं० 1 लगा० 7 की पैतृक व मौरूसी है जिसमें अप्रार्थी नं० 1 लगा० 6 के पिता-पति को बेचान करने का कोई हक अधिकार नहीं था बिना किसी अधिकार के विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया है आराजीयात चतुर्भुज पुत्र नरसिंहदास की बनाई व कमाई हुई थी आरा० पैतृक

(Page header, right column: हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज (2); right margin column: नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए)

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	क्र. हुक्म

होनें की वजह से अप्रार्थीगण का जन्म जात हक अधिकार प्राप्त है व अप्रार्थी नं. 1 लगा. 7 मोहन के नाबालिग है। उक्त आराजियात पैतृक होने के कारण अप्रार्थीगण के पिता को उक्त आराजी विक्रय करने का अधिकार नहीं था। विक्रय पत्र प्रभावशून्य नल एण्ड वोईड है। आराजियात पैतृक शामलाती है जिस पर अप्रार्थी नं. 2 लगा. 6 अपने हिस्से पर काबिज काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को जरिये काउण्टर टी.आई. अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है व दि. 20.3.2001 को प्रार्थी द्वारा उक्त विक्रय पत्र आधार पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर पर काउण्टर टी.आई. पेश किया है अगर जरिये काउण्टर क्लेम प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो वह आराजी से बेदखल कर देगा। काश्त नहीं करने देगा। खुर्द बुर्द कर देगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण की काउण्टर टी.आई. मंजूर फरमाई जाकर प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह जरिये काउण्टर क्लेम अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में जबरन बेजामुदाखलत नहीं करे। काश्त करने से मना नहीं करे। उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डालें। अन्तरण बेचान नहीं करे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटो प्रति नकल जमाबंदी खाता सं. 404 जमाबंदी संवत 2068-71 वाके ग्राम पन्डाहेड़ा, खाता सं. 357, संवत 2056 से 2059 खाता सं. 386 संवत 2060 से 2063, खाता सं. 399 संवत 2064-67 वाके पन्डाहेड़ा, फोटो प्रति विक्रय विलेख (पंजीकृत विक्रय पत्र) दि. 3.11.2000 मोहन पुत्र चतुर्भुजदास, नोसर पुत्री चतुर्भुजदास बहक भंवरसिंह पेश किये।

हमनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत 2056-2059 की खतौनी सं. 357 वाके ग्राम पन्डाहेड़ा में मोहनदास व नोसर का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा अर्थात दोनों का 1/3 हिस्सा दर्ज था जो रोके ~~जिला~~ विकास बैंक लि. के नाम रहन दर्ज रिकार्ड होना जाहिर है। वादग्रस्त

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आ. ख. नं. $\frac{927}{0.60}$, $\frac{928}{0.44}$, $\frac{929}{0.52}$ किता 3 रकबा 1.56 है0 वाके ग्राम पन्डाहेड़ा में मोहनदास व नोसर का 1/3 हि0 था जो इन्होनें जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भंवरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत नि. पन्डाहेड़ा को दि. 3.11.2000 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द करना जाहिर है। जो उक्त विक्रय पत्र से जाहिर है व भूमि पर रहन का अंकन होने के कारण नामा. विक्रय पत्र का नहीं होना जाहिर है व मोहनदास के फौत होने पर विरासत नामा. सं. 838 दि. 25.5.2015 से मोहनदास के बजाय उसके वारिसान मनीषकुमार योगेश बृजेश पि. मोहनदास फूलादेवी पत्नी मोहनदास सीमा पुत्री मोहनदास जो कि अप्रार्थी नं. 2 लगा. 6 हैं के नाम दर्ज हुआ जो जमाबंदी संवत 2068-71 खतौनी सं. 404 से जाहिर है। मोहनदास व नोसर द्वारा विक्रय शुदा आराजीयात से कानूनन अप्रार्थीगण का कोई सरोकार या वास्ता नहीं होना जाहिर है। चूंकि वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, रिकार्ड में अंकन के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा आराजी को खुर्द बुर्द या अन्तरण से भी नहीं नकारा जा सकता व रिकार्ड में खातेदारी के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा आराजी का अन्तरण करने की सूरत में प्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होने का पूर्ण अन्देशा है। क्योंकि प्रार्थी की क्रयशुदा आराजी व प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया होना व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना जाहिर है। अप्रार्थीगण की काउण्टर टी.आई. संधारणीय नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध तोफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वे आ.ख.नं. $\frac{927}{0.60}$, $\frac{928}{0.44}$, $\frac{929}{0.52}$ कुल किता 3 रकबा 1.56 है0 वाके ग्राम पन्डाहेड़ा में प्रार्थी के कब्जे काश्त में जबरन बेजामुदाखलत नहीं करे। काश्त करने से मना नहीं करे। जबरन बेदखल नहीं करे। तीसरे को अन्तरण बेचान, रहन, बय, बखशीश नहीं करे। मौका व कब्जे

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	काश्त व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। प्रार्थीगण की काउन्टर डी.आई. चलने योग्य नहीं होने के फलस्वरूप खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म सरे इजलास सुनाया गया। संलग्न मूल वापस रहे। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)